पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 152

थाना कांड संख्या-34 वर्ष-2014 थाना- चौतरवा जिला- पश्चिम चंपारण से उत्पन्न

==========

1. विशुन देव यादव
2. सत्यदेव यादव दोनों के पिता- स्वर्गीय सैय्यदव, निवासी- गाँव -नदवा पिपारा, थाना-चौतरवा, जिला-पश्चिम चंपारण।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता

==========

के साथ

2015 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 174

थाना कांड संख्या-34 वर्ष-2014 थाना- चौतरवा जिला- पश्चिम चंपारण से उत्पन्न

==========

1. संतोष यादव
2. राजू यादव
3. गोविंद यादव तीनों के पिता सत्यदेव यादव
4. रघुनाथ यादव पिता बृक्षा यादव, सभी का निवास- गाँव-नदवा पिपारा, थाना चौतरवा, जिला-पश्चिम चंपारण।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता

==========

उपस्थितः

(2015 के आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 152 में)

अपीलार्थियों के लिए	:	श्री संजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री रुद्रांक शिवम सिंह, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, अ०लो०अ०

(2015 के आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 174 में)

अपीलार्थियों के लिए	:	श्री संजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री रुद्रांक शिवम सिंह, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, अ०लो०अ०

==========

- ***अपील का विषय- - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 374(2) के तहत दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध अपील। - अभियुक्तों की संलिप्तता की जांच, अभियोजन साक्ष्यों (एफ आई आर, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, चिकित्सकीय साक्ष्य) की विश्वसनीयता का मूल्यांकन। - प्राथमिकी (एफ आई आर) पूर्व-रचित पाई गई, क्योंकि इसे पंजीकरण में अनुचित विलंब हुआ और घटनाक्रम की समयावधि से मेल नहीं खाया। - घायल व्यक्तियों एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में विरोधाभास, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न हुआ।*** *- (संदर्भ: मेहराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1994) 5 एस सी सी 188]) (पैरा 24-29)*

- ***चिकित्सकीय साक्ष्य*** *- चिकित्सकीय रिपोर्ट से संकेत मिला कि घटनास्थल की चोटें सड़क दुर्घटना से भी संभव थीं, जिससे बचाव पक्ष का पक्ष मजबूत हुआ। (पैरा 25, 30.1)*

- ***प्रक्रियात्मक त्रुटियां- धारा 313*** *दं.प्र.सं* ***का सही तरीके से अनुपालन नहीं किया गया, जिससे अभियुक्तों को उचित बचाव का अवसर नहीं मिला। - अभियुक्तों से सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर प्रश्न नहीं पूछे गए, जिससे उनके पक्ष को नुकसान हुआ।*** *- (संदर्भ: नरेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य [2024 एस सी सी ऑनलाईन एस सी 1641]) (पैरा 29-31)*

निष्कर्ष- अभियोजन पक्ष - संदेह से परे अपना मामला साबित करने में असफल रहा - FIR में असंगतियां, गवाहों के बयान में विरोधाभास, चिकित्सकीय साक्ष्यों का बचाव पक्ष के पक्ष में होना, तथा प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर दोषसिद्धि रद्द कर दी गई।

- सभी अभियुक्त बरी कर दिए गए। - नजरबंद अभियुक्तों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया गया तथा जमानत पर रहे अभियुक्तों की जमानत शर्तें समाप्त कर दी गईं।

(पैरा 32-33)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीख:11-07-2024

ये अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 374 (2) के तहत चौतरवा थाना से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 442/2014 में विद्वान एडहॉक प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बगहा, पश्चिम चंपारण द्वारा पारित दिनांक 28.01.2015 के दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 30.01.2015 के सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं। 2014 का थाना मामला संख्या 34, जिसके तहत अदालत ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 302, 447, 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित 149 के तहत आजीवन कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है और जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह महीने के कारावास की अतिरिक्त सजा सुनाई है। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 147, 148, 324, 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक महीने के कारावास की भी सजा सुनाई गई है। सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

2. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक सार इस प्रकार है:-

2.1 बलिस्टर यादव का *फर्दबयान* दिनांक 25.02.2014 को 02:00 बजे अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा में दर्ज हुआ, जिसमें सूचक ने कहा है कि दिनांक 24.02.2014 को 07:00 बजे शाम में वह गन्ना लेकर ट्रैक्टर से हरिनगर मील जाने के लिए तैयार हो रहा था, इसी बीच विशुनदेव यादव, सत्यदेव यादव, प्रमोद यादव, संतोष यादव, राजू यादव, गोविंद यादव, छोटा यादव एवं रघुनाथ यादव *लाठी, डंडा* एवं *फरसा* से लैस होकर उसके दरवाजे पर आये और उसके पुत्र टुन्ना यादव के साथ मारपीट करने लगे,

जिससे सूचक के पुत्र के पैर, सिर एवं कमर में चोटें आयीं। आरोप है कि जब विनोद यादव, लाली देवी और टुन्नी कुमारी उसे बचाने आए, तो आरोपियों ने उन पर भी *लाठी-डंडा* से हमला कर दिया, जिससे वे भी घायल हो गए। *शोरगुल* सुनकर जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो आरोपियों ने सूचक के चचेरे भाई विनोद यादव की जेब से 5000 रुपये और नोकिया कंपनी का मोबाइल छीनकर भागने लगे। आरोप है कि आरोपियों ने धमकी दी कि अगर केस किया तो उनके परिवार के लोगों को जान से मार दिया जाएगा। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल बगहा लाया गया, जहां इलाज के दौरान सूचक के पुत्र टुन्ना यादव की मौत हो गई।

2.2 उपरोक्त *फर्दबयान* के आधार पर औपचारिक एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी ने जांच शुरू की। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए, दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए और उसके बाद अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

2.3 यह मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे संबंधित सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 442/2014 के रूप में पंजीकृत किया गया।

2.4 मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों से पूछताछ की, जिनके नाम थे - अ.सा.-1 छोटक यादव, अ.सा.-2 भरत यादव, अ.सा.-3 दिनेश यादव, अ.सा.-4 विनोद यादव, अ.सा.-5 ललिता देवी, अ.सा.-6 टुन्नी कुमारी, अ.सा.-7 महंथ यादव, अ.सा.-8 डॉ. अशोक कुमार तिवारी, अ.सा.-9 बलिस्टर यादव और अ.सा.-10 कृष्णनंदन झा। बचाव पक्ष ने भी दो गवाहों से पूछताछ की, जिनके नाम थे - बचाव सा.-1 प्रहलाद यादव और बचाव सा.-2 बीरा यादव। इसके बाद अभियुक्तों का धारा 313 के तहत आगे का बयान दर्ज किया गया। मुकदमे के समापन के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

2.5 विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ताओं ने तत्काल अपील दायर की है।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय सिंह, जिनकी सहायता श्री रुद्रांक शिवम सिंह ने की, तथा राज्य की ओर से विद्वान एपीपी श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना गया।

4. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचक (अ.सा.-9) का *फर्दबयान* 25.02.2014 को दोपहर 02:00 बजे उप-मंडलीय

अस्पताल में कथित घटना के लिए दर्ज किया गया था, जो 24.02.2014 को शाम 07:00 बजे हुई थी। इस स्तर पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने औपचारिक एफआईआर के पहले पृष्ठ से बताया है कि एफआईआर 25.02.2014 को दोपहर 12:15 बजे दर्ज की गई थी। इस प्रकार, उपरोक्त से, यह कहा जा सकता है कि *फर्दबयान* दर्ज करने और औपचारिक एफआईआर के पंजीकरण के समय में विसंगति है। इस स्तर पर, यह भी बताया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह पता चला है कि डॉक्टर को मृतक का शव 25.02.2014 को लगभग 09:00 बजे मिला था और उसके बाद उन्होंने 10:30 बजे पोस्टमार्टम किया था। हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से मृतक के शव की जांच रिपोर्ट दोपहर 02:30 बजे तैयार की गई थी। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर पूर्व-दिनांकित/पूर्व-समय की है।

4.1. इस स्तर पर, अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि अ.सा.-8 डॉ. अशोक कुमार तिवारी ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि 24.02.2014 को रात्रि 11:25 बजे उन्होंने टुन्नी कुमारी की जांच की, रात्रि 11:30 बजे उन्होंने ललिता देवी की जांच की तथा उसके बाद रात्रि 11:45 बजे उन्होंने एक अन्य घायल विनोद यादव की जांच की। यह कहा गया है कि सूचक (पी.डब्लू.-9) ने बयान के पैरा-10 में स्वीकार किया है कि पुलिस अस्पताल में आई थी तथा अस्पताल में ही पूछताछ की गई थी। इसके बाद वे पुलिस थाने गए तथा थाने लौटने के 3-4 घंटे बाद उनके बेटे की मृत्यु हो गई। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से, अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अस्पताल में ही पुलिस ने सूचक तथा गवाहों से घायल गवाहों तथा मृतक को लगी चोटों के बारे में पूछताछ की है तथा उसके बाद सूचक भी थाने गया था। इसके अतिरिक्त, मृतक की मृत्यु प्रातः 09:00 बजे हुई तथा मृतक के शव का पोस्टमार्टम प्रातः 10:00 बजे किया गया, जिसके बावजूद सूचक का फर्दबयान 25.02.2014 को अपराह्न 02:00 बजे दर्ज किया गया। इस प्रकार, प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है तथा अपीलकर्ता-आरोपियों को भूमि विवाद के कारण उक्त घटना में झूठा फंसाया गया है। सूचक तथा अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों का प्रथम कथन अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, अतः प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

5. श्री संजय सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसके बाद प्रस्तुत किया कि घटना के तरीके के संबंध में दो संस्करण हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सूचक (अ.सा.-9) द्वारा दिए गए बयान और एफआईआर का हवाला दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सूचक ने फर्दबयान के साथ-साथ न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा है कि 24.02.2014 को

शाम 07:00 बजे ट्रैक्टर पर गन्ना लोड किया गया था। उसी समय सभी अभियुक्तगण *लाठी,* डंडा*, फरसा* लेकर आये और उसके पुत्र टुन्ना के साथ मारपीट करने लगे, जिससे उसके पुत्र के शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आयीं। उसी समय विनोद यादव, टुन्नी कुमारी, उसकी मौसी ललिता देवी और महंथ यादव ने उसके पुत्र को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सभी अभियुक्तगण ने उक्त गवाहों के साथ भी मारपीट की। हालांकि एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी अ.सा.-7 ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि वह अपने दरवाजे के पास खड़ा था और उसने देखा कि राजू ने बैरिस्टर (सूचनाकर्ता) को घसीटा और उसके बाद विशुन देव, प्रमोद, राजू, सत्यदेव, संतोष, गोविंद और रघुनाथ उक्त स्थान पर आये और विनोद यादव को भी घसीटकर मारपीट करने लगे। उक्त घटना में विनोद के शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आयीं। उसी समय जब टुन्ना ने उसे बचाने का प्रयास किया, तो अभियुक्तगण द्वारा टुन्ना के माथे पर टार्च से वार किया गया। अन्य व्यक्तियों ने भी उन्हें बचाने की कोशिश की और उक्त घटना में उन्हें भी चोटें आईं और घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि घायल चश्मदीद गवाहों ने अदालत के समक्ष घटना के तरीके के संबंध में अलग-अलग कहानी बताई। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि तथाकथित चश्मदीद गवाह और घायल गवाह भरोसेमंद नहीं हैं और इसलिए, उनके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसके बाद दलील दी कि घायलों को लगी चोटें सामान्य प्रकृति की हैं और उन्हें दुर्घटना में चोट लग सकती है। इस स्तर पर, यह तर्क दिया गया है कि भरत यादव (अ.सा.-2) को भी अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार चोटें लगी हैं। हालांकि, उन्होंने डॉ. एस.पी. अग्रवाल से उपचार लिया। हालांकि, उक्त डॉक्टर की जांच नहीं की गई है।

6.1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस स्तर पर प्रस्तुत किया है कि जिस जीप में घायल और मृतक यात्रा कर रहे थे वह पलट गई और उक्त दुर्घटना में मृतक टुन्ना यादव को गंभीर चोटें आईं जबकि अन्य व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं और इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने उक्त बचाव पर उचित रूप से विचार नहीं किया है।

7. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियुक्तों को सूचक (अ.सा.-9) के साथ भूमि विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने कंडिका-4 एवं 5 में सूचक (अ.सा.-9) द्वारा दिए गए बयान का हवाला दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सूचक ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तों द्वारा विवादित भूमि में राख एवं गोबर रखा गया था तथा इसे हटाने के लिए अ.सा.-9 ने एसडीओ के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने *सरपंच* को भी अभ्यावेदन दिया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे कहा कि कंडिका-5 में सूचक ने यह भी स्वीकार किया है कि मृतक टुन्ना के *श्राद्ध* के बाद चहारदीवारी का निर्माण किया गया था। उस समय सभी छह अभियुक्त हिरासत में थे तथा अब चहारदीवारी के निर्माण के बाद अभियुक्तों द्वारा विवादित भूमि में राख एवं गोबर नहीं रखा जा रहा है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने सूचक के अपने पुत्र की मृत्यु के तुरंत बाद के आचरण की ओर ध्यान दिलाया। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि सूचक ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद संबंधित भूमि पर कब्जा कर लिया और दीवार का निर्माण किया।

8. इसके बाद विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि धारा 313 के तहत अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के आगे के बयान दर्ज करते समय, अभियुक्तों के खिलाफ सभी अपराधिक परिस्थितियों को उनके सामने नहीं रखा गया। यह दलील दी गई कि धारा 313 के तहत बयान महज औपचारिकता नहीं है, इसलिए बचाव पक्ष को नुकसान पहुँचा है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

(i) (1994) 5 एससीसी 188 [मेहराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]

(ii) 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1641 (नरेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य)।

8.1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि मेडिकल साक्ष्य भी तथाकथित चश्मदीद गवाहों/घायल गवाहों द्वारा दिए गए बयान का समर्थन नहीं करते हैं। मृतक को *फरसा* से चोट लगी है।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान एपीपी ने इन अपीलों का पुरजोर विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में सूचक एक प्रत्यक्षदर्शी है और अन्य चार गवाह घायल प्रत्यक्षदर्शी हैं। घायल प्रत्यक्षदर्शियों ने सूचक के कथन का समर्थन किया है और चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं। इसलिए, विद्वान अ०लो०अ० ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं-आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित कर दिया है, इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित करते समय कोई गलती नहीं की है। इसलिए, विद्वान अ०लो०अ० ने आग्रह किया कि इन दोनों अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

10. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है, हमने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है। रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों की जांच की है। बचाव पक्ष ने भी दो गवाहों की जांच की है।

11. अ.सा.-1 छोटक यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना सात माह पूर्व सायं 07:00 बजे घटित हुई थी। वह अपने घर पर था। टुन्ना यादव और विनोद यादव पर विशुन देव, प्रमोद, सत्यदेव, संतोष यादव, राजू यादव, छोटा यादव, गोविंद यादव और रघुनाथ ने लाठी से हमला किया। बलिस्टर यादव ने शोर मचाया और वह वहां गया और घटना देखी। घायलों के सिर, पेट और पैर में चोटें आईं। विनोद के सिर पर चोट लगने से खून बह रहा था। इलाज के दौरान टुन्ना यादव की मृत्यु हो गई। इस गवाह ने यह भी बयान दिया है कि भरत यादव, विनोद यादव, ललिता देवी, टुन्नी कुमारी और महंथ को भी चोटें आईं थीं।

11.1. जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कहा कि उसे गवाही देने के लिए कोई समन नहीं मिला है तथा उसे *चौकीदार* ने सूचना दी है। उसने आगे कहा कि वह पंजाब में काम करता है तथा उसे नहीं मालूम कि किस जमीन को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश है। उसका घर बैरिस्टर यादव के घर से 10 कदम की दूरी पर है। बैरिस्टर के घर से चलने पर सबसे पहले उसके चाचा जोगेंद्र यादव का घर पड़ता है। उसके बाद मदन यादव का घर है, मदन यादव के घर के बाद लाल जी यादव का घर है तथा उसके बाद उसका घर है। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया है। उसने छोटा यादव का नाम बताया था। उसने पुलिस के सामने कहा था कि बैरिस्टर ने शोर मचाया और वह चला गया। उसने पुलिस के सामने कहा था कि विनोद के सिर पर चोट लगने से खून बह रहा था। उसने पुलिस के सामने कहा था कि भरत यादव, ललिता देवी, मुन्नी और महंथ को भी चोटें आई थीं।

12. अ.सा.-2 भरत यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना सात माह पूर्व शाम सात बजे की है। वह परसोई बाजार से अपने घर आ रहा था। बैरिस्टर यादव के दरवाजे पर सत्यदेव यादव, विशुन देव, प्रमोद, राजू, संतोष, गोविंद यादव, रघुनाथ और छोटे यादव *फरसा* से विनोद यादव और टुन्ना यादव पर हमला कर रहे थे। जब वह बचाने गया तो प्रमोद यादव ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा। बगहा अस्पताल में टुन्ना यादव की मौत हो गई।

12.1. जिरह के दौरान इस गवाह ने बताया कि घायलों को अस्पताल लाया गया था। वह अस्पताल नहीं गया था। टुन्ना की मां टुन्ना के घर पर मौजूद थी। सभी इलाज के बाद आए थे।

13. अ.सा.-3 दिनेश यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना सात माह पूर्व सायं 07:00 बजे घटित हुई थी। वह अपने दरवाजे पर था और बैरिस्टर यादव शोर मचा रहा था। जब वह वहां गया तो देखा कि विशुन देव यादव, प्रमोद, संतोष, सत्यदेव, राजू, छोटा यादव, गोविंद, रघुनाथ टुन्ना और विनोद यादव पर लात-घूंसों और थप्पड़ों से हमला कर रहे थे। हमने मामला शांत करा दिया था। सभी घायलों को अस्पताल लाया गया जहां उपचार के दौरान टुन्ना यादव की मृत्यु हो गई। उसने आरोपियों की पहचान कर ली है।

13.1. जिरह के दौरान अ.सा.-3 ने बताया कि वह भी जीप से अस्पताल गया था। वह 8 बजे अस्पताल के लिए रवाना हुआ। घायलों को पट्टी नहीं बांधी गई थी। वह पहले अस्पताल गया था। वह 9 से 11 बजे के बीच अस्पताल पहुंचा। उसे कोई चोट नहीं लगी है। जो लोग अस्पताल गए थे, उनका इलाज किया गया। पुलिस ने तीन दिन बाद उसका बयान दर्ज किया था।

14. अभि0 4 विनोद यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना सात माह पूर्व सायं 07:00 बजे की है। वह अपने दरवाजे पर था। उसे रामनगर जाना था। पैसे के विवाद में विशुन देव, सत्यदेव, प्रमोद, राजू, संतोष, गोविंद, छोटा और रघुनाथ उसे घसीटकर बैरिस्टर यादव के दरवाजे पर ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई। टुन्ना यादव, टुन्नी कुमारी और महंथ उसे बचाने आए। प्रमोद ने टार्च से टुन्ना पर हमला किया। उसका दांत टूट गया। उसका इलाज कराया गया। टुन्ना के सिर और पेट पर चोटें आईं। उसके गुप्तांग से खून भी बह रहा था। टुन्नी और ललिता को भी चोटें आईं। इलाज के दौरान टुन्ना यादव की अस्पताल में मौत हो गई।

14.1. उक्त साक्षी ने जिरह में कहा कि जब उसने अभियुक्त को देखा तो उसने भागने की कोशिश नहीं की। वह डरा नहीं। तारीख 24 थी। शाम 7 बजे भी अंधेरा नहीं हुआ था। उस समय तो 7.15-7.30 बजे तक अंधेरा हो जाता। यह कहना गलत है कि उस समय सूरज 5 बजे डूबता है। अभियुक्त टॉर्च और *डंडा* लेकर शोर मचाते हुए आए। उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इस साक्षी ने आगे कहा कि उसे *लाठी* के कई वार लगे और वह गिर गया। गिरने के बाद भी उसके साथ मारपीट की गई। उसके पूरे शरीर पर चोटें आईं। उसके शरीर, मुंह और नाक से खून बहने लगा। वह बेहोश हो गया। गिरने से दांत नहीं टूटा। मारपीट एक

घंटे तक चली होगी। दिनेश, भरत, छोटे बाबू जी, उसके चाचा और अन्य लोग आए। पुलिस ने निरीक्षण के दौरान टॉर्च जब्त नहीं की। टॉर्च से टुन्ना के सिर में चोट लग गई।

15. अ.सा.-5 ललिता देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना छह माह पूर्व की है। शाम के सात बजे थे। वह अपने घर में थी। उसका बेटा गन्ना लेकर मिल जा रहा था। रघुनाथ यादव ने विनोद यादव से पैसे लिए। जब विनोद यादव ने अपने पैसे मांगने शुरू किए तो प्रमोद, विशुन देव, राजू, संतोष, छोटा और सत्यदेव ने *लाठी*-डंडे और *फट्टे* से उस पर हमला कर दिया। जब वह उसे बचाने गई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। उसका और विनोद का इलाज किया गया। उसकी पोती टुन्नी और उसके पति महंथ को भी चोटें आईं। टुन्ना के साथ भी मारपीट की गई और उसकी मौत हो गई।

15.1. जिरह के दौरान उक्त साक्षी ने बताया कि जब वह अपने घर से बाहर निकली तो विनोद शोर मचा रहा था। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। जब वह घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके बेटे के साथ मारपीट की जा रही है। मारपीट के बाद वह जमीन पर गिर गया। उसके साथ भी मारपीट की गई। उसकी पसलियों में चोट लगी है। मारपीट के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वह बगहा भी गई। जब वह वापस आई तो उसे पता चला कि अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई है। पुलिस ने अगले दिन दरवाजे पर उसका बयान दर्ज किया। उसने पुलिस को लाठी-फट्ठा से मारपीट की बात नहीं बताई। उसने पुलिस को महंथ के चोटिल होने की बात नहीं बताई। यह कहना गलत है कि दुश्मनी के कारण झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया।

16. मृतक की बहन अ.सा.-6 टुन्नी कुमारी ने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना सात माह पूर्व की है। शाम के सात बजे थे। वह अपने घर पर थी। *शोरगुल* सुनकर दौड़ी हुई आई तो देखा कि विशुनदेव, सत्यदेव, प्रमोद, संतोष, छोटा, राजू और गोविंद टुन्ना पर हमला कर रहे थे। जब वह बचाने गई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। उसके दाहिने हाथ की कलाई और पसली में चोटें आईं। उसके चाचा और भाई का इलाज किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान टुन्ना यादव की मौत हो गई। उसके दादा-दादी भी बचाने आए थे, जिन पर भी हमला किया गया। छोटक, दिनेश, भरत भी बचाने आए थे, जिन पर भी हमला किया गया।

16.1. वह अपने भाई और चाचा की आवाज सुनकर दरवाजे पर गई। आवाज साफ नहीं थी। जब वह पहुंची तो उसके भाई और चाचा खड़े थे। उसके बाद वे गिर पड़े। इस साक्षी ने जिरह में आगे कहा कि उसे याद नहीं है कि जहां वे गिरे थे वहां खून था या नहीं। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि टुन्ना यादव के शरीर से खून बह रहा था। उसने यह नहीं

देखा कि उसके भाई के अलावा किसी के शरीर से खून बह रहा था। घायलों को जीप में बिठाया गया और उस समय कोई भी बेहोश नहीं था। वह भी जीप में बैठी थी। उसे याद नहीं है कि वह किस समय अस्पताल पहुंची। वह 08:30-08:45 के बीच पहुंची। पुलिस ने उसके घर पर बयान दर्ज किया। जब पुलिस अस्पताल आई तो वे वहां मौजूद थे। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि आठ लोग *लाठी* और टॉर्च के जरिए उसके भाई पर हमला कर रहे थे। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और उसने झूठा बयान दिया है।

17. अ.सा.-7 महंथ यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि घटना छह माह पूर्व सायं 07:00 बजे की है। वह अपने दरवाजे पर था। विनोद मिल पर जाने के लिए तैयार था। राजू ने बैरिस्टर को घसीटना शुरू कर दिया। विशुन देव, प्रमोद, राजू, सत्य देव, छोटे, संतोष, गोविंद और रघुनाथ आये और विनोद यादव को घसीटकर मारपीट करने लगे। जब टुन्ना उसे बचाने गया तो उसके साथ भी मारपीट की गई जिससे उसके सिर पर चोट लग गई जिससे खून बहने लगा। घायलों का उपचार किया गया और टुन्ना की मृत्यु हो गई।

17.1. उक्त साक्षी ने जिरह में कहा कि सत्यदेव और विशुनदेव भाई हैं। सत्यदेव के चार पुत्र राजू, संतोष, छोटन और गोविंद हैं। उनके परिवार से कोई भी दशरथ यादव के पूजा-पाठ और भोज में शामिल होने नहीं गया था। दशरथ से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। आरोपियों से पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। सड़क बाग के पूर्वी तरफ स्थित है। बाग और सड़क के बीच 15 हाथ खाली जमीन है जो *गैर मजरूआ* जमीन है। आरोपियों ने उस जमीन पर खाद आदि डाली है। बैरिस्टर यादव ने जमीन खाली कराने के लिए एसडीओ के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था। उसे प्रार्थना पत्र की विषय-वस्तु की जानकारी नहीं थी। जब विनोद पर हमला हो रहा था तो वह तुरंत वहां पहुंचा। विनोद को आरोपियों ने घेर लिया था। जब वह पहुंचा तो उस पर अंधाधुंध हमला हो रहा था। विनोद नीचे नहीं गिरा। विनोद के पूरे शरीर पर चोटें आईं। इस गवाह ने अपनी जिरह में आगे कहा है कि उसके साथ भी मारपीट की गई। वह मदद के लिए कहीं नहीं गया। टुन्ना और विनोद को पुलिस स्टेशन जाने के लिए जीप पर बिठाया गया। वह पुलिस स्टेशन नहीं गया। टुन्ना के सिर और पैर में खून बहने और फ्रैक्चर होने लगा। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

18. अ.सा.-8 डॉ. अशोक कुमार तिवारी, वह डॉक्टर हैं जिन्होंने घायल व्यक्तियों का इलाज किया है। उन्होंने टुन्नी कुमारी के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई हैं:

1. छह घंटे के भीतर कठोर और कुंद पदार्थ के कारण दाहिनी कलाई में 1½″ x ½″ की सूजन।

साधारण।

डॉक्टर ने ललिता देवी के शरीर पर निम्नलिखित चोट पाई है:

(i) दाहिने हाथ पर हेमेटोमा (पठनीय नहीं) 1″ सेमी कठोर और कुंद पदार्थ के कारण।

छह घंटे, साधारण चोट।

डॉक्टर ने विनोद यादव का भी इलाज किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

(i) बायीं आंख के पीछे ½″ x ½″ की सूजन (पठनीय नहीं)

(ii) दाहिनी आंख पर लालिमा।

(iii) नाक पर ½″ x 1/4″ x का घर्षण (पठनीय नहीं) जो किसी कठोर और कुंद पदार्थ के कारण हुआ।

25.02.2014 को लगभग 10:30 बजे, इस गवाह ने टुन्ना यादव के शव का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

बाह्य:

(i) 2″ व्यास वाले (पठनीय नहीं) क्षेत्र पर हेमेटोमा।

(ii) टिबिया और फिबुला दोनों का संयुक्त फ्रैक्चर और त्वचा और कोमल ऊतक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के साथ कवर का अंत।

(iii) बाएं इलियाक फोसा पर सूजन

(iv) छाती के बाएं हिस्से पर नीले रंग का निशान 3″ x ½″.

आंतरिक -

(i) प्लीहा फटा हुआ (फटा हुआ)

(ii) पेट की गुहा में खून और खून के थक्के लगभग एक लीटर भरे हुए थे।

(iii) मूत्राशय और प्रोस्टेट में घाव।

(iv) हृदय कक्ष खाली थे।

(v) बाकी आंतरिक अंग बहुत पीले लेकिन बरकरार थे।

(vi) पेट में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन का हिस्सा है।

(vii) मूत्राशय में घाव जो मूत्रमार्ग में खून से भर जाता है।

हथियार - कठोर और कुंद हथियार।

मृत्यु का कारण - रक्तस्राव और सदमा।

मृत्यु के बाद का समय 6 से 12 घंटे।

मृत्य की कठोरता शुरू नहीं हुई है।

18.1. डॉक्टर ने अपनी जिरह में कहा है कि मृत्यु-पूर्व चोट सड़क पर जीप या मोटर से दुर्घटना के कारण संभव है।

19. मामले के सूचक अ.सा.-9 बलिस्टर यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि घटना दिनांक 24.02.2014 को शाम 07:00 बजे की है। वह हरि नगर जाने की तैयारी कर रहा था, इसी बीच प्रमोद यादव, विशुनदेव यादव, सत्यदेव यादव, संतोष यादव, राजू यादव, गोविंद यादव, छोटा यादव और रघुनाथ यादव एक समूह बनाकर उसके दरवाजे पर आये और उसके पुत्र टुन्ना पर *लाठी, डंडा* और *फरसा* से हमला करने लगे। टुन्ना के सिर, छाती, पेट और दाहिने पैर में चोटें आईं। उसे बचाने के लिए विनोद यादव, टुन्नी कुमारी, ललिता देवी और महंथ यादव गए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इस साक्षी ने यह भी बयान दिया है कि आरोपियों ने विनोद यादव की जेब से 5000 रुपये और मोबाइल छीन लिया और धमकी दी कि अगर केस किया तो जान से मार देंगे। ग्रामीणों की मदद से वह चौतरवा आया और वहां से अनुमंडलीय अस्पताल बगहा की ओर बढ़ा। इलाज के दौरान उसके बेटे की मौत हो गई। अन्य का इलाज किया गया। पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया है। टुन्ना यादव की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया है।

19.1. उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कहा है कि उसकी पत्नी जीवित है। उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा इस मामले के गवाह नहीं हैं। महंथ यादव के दो बेटे हैं, विनोद और बहारन यादव। बहारन इस मामले का गवाह नहीं है। हरि नारायण का कोई बच्चा नहीं है। उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी गवाह नहीं है। यादव के अलावा कोई गवाह नहीं है। इस साक्षी ने अपने जिरह में आगे कहा है कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। केवल महंथ यादव को चोट लगी है। उसके पिता और चाचा 18-20 वर्षों से अलग रह रहे हैं। बगीचा संयुक्त है।

उसका बगीचा उत्तर दिशा में है, महंथ यादव का बगीचा बीच में है जबकि हरि नारायण यादव का बगीचा दक्षिण दिशा में है। इस साक्षी ने अपने जिरह में आगे कहा है कि उसने जमीन खाली कराने के लिए एसडीओ के समक्ष आवेदन दिया है। उसका बाग उत्तर व पूर्व दिशा से बाउंड्रीवाल से घिरा हुआ है। टुन्ना के *श्राद्ध* के बाद बाउंड्री बनाई गई थी। सभी छह आरोपी जेल में थे। बाउंड्रीवाल के कारण वे राख व गोबर नहीं रख रहे हैं। घटना के समय वह दशरथ के घर भोज खाने नहीं गया था। इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने पुलिस के समक्ष यह कहा है कि वह दशरथ के घर भोज खाने गया था। उसने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने *फर्दबयान* में यह नहीं लिखा है कि वह ट्रैक्टर व गन्ना लेकर रामनगर जाने के लिए तैयार था। इस साक्षी ने जिरह में यह भी कहा है कि उसने जमीन पर गिरा खून नहीं देखा। उसने दरवाजे पर मारपीट की बात भी नहीं कही है। इस साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने पुलिस के समक्ष यह कहा है कि वह दशरथ के घर दावत खाने गया था। वह वहीं खड़ा होकर शोर मचा रहा था। मारपीट 15-20 मिनट तक चलती रही। घायल जमीन पर नहीं गिरा। घायल को खड़े-खड़े चोटें आईं। उसने पुलिस को फोन किया था। पुलिस ने अस्पताल में उसका बयान लिया। वह अस्पताल से तुरंत थाने गया। थाने से लौटने के 3-4 घंटे बाद उसके बेटे की मौत हो गई। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि वह टुन्ना और विनोद के साथ लाली का इलाज कराने अस्पताल जा रहा था और जीप पलट गई और उस दुर्घटना में टुन्ना की मौत हो गई।

20. अ.सा.-10 कृष्णानंद झा इस मामले के जांच अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वे 25.02.2014 को चौतरवा थाने में एस.एच.ओ. के पद पर तैनात थे। उन्होंने बैरिस्टर यादव के फर्दबयान के आधार पर औपचारिक एफ.आई.आर. दर्ज की है, जिसे ए.एस.आई. राम विनय शर्मा ने दर्ज किया था। इस गवाह ने इस मामले की जांच का जिम्मा संभाला है। जांच के समय उन्होंने महंथ यादव, बैरिस्टर यादव, योगी यादव, विनोद यादव, भरत यादव, ललिता देवी, टुन्नी कुमारी, छोटक यादव और दिनेश यादव का बयान दर्ज किया है, जिन्होंने मामले का समर्थन किया है। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटनास्थल महादेव यादव के घर के पास नदवा पिपरा गांव में स्थित है। घटनास्थल पर ईंट के टुकड़े मिले हैं। उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। ए.एस.आई. राम विनय शर्मा ने मृतक टुन्ना यादव की जांच रिपोर्ट तैयार की है।

20.1. अ.सा.-10 ने अपनी जिरह में कहा है कि वह दोपहर 12:45 बजे जांच के लिए गया था। घटनास्थल पर जाने और गवाहों के बयान दर्ज करने की तारीख अलग-अलग है। वह 25.02.2014 को घटनास्थल पर गया था और महंथ यादव, बैरिस्टर यादव, योगी, विनोद और भरत यादव के बयान दर्ज किए थे। इस गवाह ने अपनी जिरह में आगे कहा है

कि उसने सत्यदेव और रघुनाथ को परसौनी चौक से गिरफ्तार किया था। उन्हें घटनास्थल पर खून नहीं मिला था। उन्होंने खून से सने कपड़े और मिट्टी भी जब्त नहीं की थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि छोटक यादव ने अपने बयान में कहा है कि भरत यादव, महंथ, विनोद यादव, ललिता देवी और टुन्नी कुमारी को चोटें आईं। यह कहना गलत है कि बयान उनके सामने दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने यह नहीं लिखा है कि विनोद के सिर पर खून बहने की चोट लगी थी। विनोद यादव के बयान में यह नहीं लिखा है कि वह दरवाजे पर था। सूचक ने कहा है कि वह दशरथ के घर दावत खाने गया था। पत्नी ने यह नहीं कहा है कि वह *शोर* सुनकर दौड़ी चली आई। उसने यह नहीं कहा है कि विनोद यादव और टुन्ना पर बिशुन देव, सत्यदेव प्रसाद, संतोष, छोटन, राजू, गोविंद और रघुनाथ ने हमला किया था। उसने सिर्फ प्रमोद और राजू का नाम लिया है। इस साक्षी ने यह नहीं लिखा है कि उसने बचाने की कोशिश की और उस पर भी हमला किया गया और उसकी दाहिनी पसली पर चोट आई। उन्होंने यह नहीं लिखा है कि दिनेश और छोटक को भी चोटें आईं। उन्होंने यह नहीं लिखा है कि टुन्ना समझाने गया था और उस पर टॉर्च से हमला किया गया जिससे उसके सिर पर चोट लग गई।

21. बचाव पक्ष ने दो गवाहों का भी परीक्षण किया है। बचाव सा.-1 प्रहलाद यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि दशरथ के घर आयोजित भोज में बलिस्टर यादव उसके बगल में बैठा था। जब वह और बलिस्टर यादव भोजन कर रहे थे, तो टुन्ना यादव आया और कहा कि दादी सीढ़ियों से गिर गई हैं। वह महंथ यादव के दरवाजे पर आया और देखा कि चाची बेहोश थीं। इसके बाद उन्हें जीप पर बिठाया गया। बलिस्टर यादव जीप चला रहा था। विनोद यादव और टुन्ना उसके बगल में बैठे थे। जीप में महंथ यादव की पत्नी टुन्नी कुमारी, भरत यादव और अन्य लोग भी थे। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बयान दिया है कि अगले दिन उसे पता चला कि जीप पलट गई और टुन्ना की मौत हो गई।

21.1. उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि उसने छठिया घाट पर जीप पलटते नहीं देखा। जीप में भरत यादव और टुन्ना को चोटें आईं। उसने टुन्ना का शव देखा है। उसने अस्पताल में टुन्ना का शव नहीं देखा। यह कहना गलत है कि पारिवारिक विवाद के कारण उसने झूठी गवाही दी है।

22. डी.डब्लू.-2 बीरा यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि *शोरगुल* सुनकर वह गया और देखा कि जीप पलट गई है। जीप के नीचे एक व्यक्ति था और उसे पता चला कि जीप बैरिस्टर यादव की है। जीप के नीचे टुन्ना यादव था। उसे पता चला कि वे एक वृद्ध महिला का इलाज कराने जा रहे थे और दुर्घटना हो गई। वे दूसरी जीप से इलाज

कराने गए थे। उसे पता चला कि इलाज के दौरान लड़के की मृत्यु हो गई। यह साक्षी दिन, महीना, तारीख और जीप का नंबर नहीं बता सका।

23. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया है। हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर भी विचार किया है। अभिलेख से यह पता चलता है कि सूचक (अ.सा.-9) ने 25.02.2014 को दोपहर 02:00 बजे उप-विभागीय अस्पताल में अपना *फर्दबयान* दिया है। फर्दबयान से पता चलता है कि घटना 24.02.2014 को शाम 07:00 बजे हुई थी। इसके अलावा सूचक के कथनानुसार सभी अभियुक्तगण *लाठी, डंडा* एवं *फरसा* लेकर घटना स्थल पर आये तथा उसके पुत्र टुन्ना यादव के साथ मारपीट करने लगे तथा उक्त घटना में टुन्ना यादव के शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आयीं तथा जब उसने मदद के लिए चिल्लाया तो सूचक के चचेरे भाई विनोद यादव, सूचक की चाची ललिता देवी एवं सूचक की पुत्री टुन्नी कुमारी उक्त स्थल पर आये तथा टुन्ना यादव को बचाने का प्रयास किया, जिस पर अभियुक्तगण ने उक्त व्यक्तियों पर भी *लाठी* से प्रहार किया, जिसमें उक्त व्यक्ति घायल हो गये तथा *शोरगुल* सुनकर गांव के लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गये। इसके बाद गांव के लोगों की मदद से घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान टुन्ना यादव की मौत हो गई। अब इस स्तर पर यह ध्यान देने योग्य है कि हालांकि *फर्दबयान* 25.02.2014 को दोपहर 02:00 बजे दर्ज किया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, औपचारिक प्राथमिकी दोपहर 12:15 बजे दर्ज की गई थी, यानी सूचक के फर्दबयान दर्ज होने से पहले। यह भी ध्यान देने योग्य है कि डॉक्टर (अ.सा.-8), जिन्होंने 24.02.2014 को रात 11:25 बजे से 11:50 बजे के बीच घायलों का इलाज किया था, ने आगे यह भी बयान दिया है कि उन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम 25.02.2014 को सुबह 10:30 बजे किया था। इसके अलावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि शव उन्हें 25.02.2014 को सुबह 09:00 बजे प्राप्त हुआ था, जिसके बावजूद फर्दबयान दोपहर 02:00 बजे दर्ज किया गया और एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके अलावा, मृतक के शव की जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि जांच रिपोर्ट दोपहर 02:30 बजे तैयार की गई थी, यानी एफआईआर दर्ज होने के बाद। जांच रिपोर्ट के कॉलम 3 और 4 में कहा गया है कि शव इमरजेंसी वार्ड में पड़ा था। इस प्रकार, समय में विसंगति है और यह अपीलकर्ता-आरोपी का विशिष्ट बचाव है कि भूमि विवाद के कारण, सभी आरोपियों को झूठा फंसाया गया है।

24. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि सूचक (पी.डब्लू.-9) ने पैराग्राफ-10 में कहा है कि पुलिस अस्पताल आई, उसने पुलिस को बुलाया

और अस्पताल में पूछताछ की गई। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन गया। सूचक के पुलिस स्टेशन से अस्पताल लौटने के 3-4 घंटे बाद उसके बेटे की मृत्यु हो गई। अ.सा.-9 के बयान से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अन्य घायल गवाहों ने 24.02.2014 को रात के समय यानी 11:25 से 11:50 बजे के बीच अस्पताल में उपचार कराया। पुलिस अ.सा.-9 के कथन के अनुसार अस्पताल में आई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष मुखबिर और घायल गवाहों का पहला कथन रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि एफआईआर दर्ज करने और मुखबिर के *फर्दबयान* दर्ज करने से पहले मृतक के शव का पोस्टमार्टम भी किया गया था। इस प्रकार, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से, हमारा मानना है कि एफआईआर पूर्व-दिनांकित/पूर्व-समय की है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने पहले कथन को दबा दिया है और इसलिए, प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

25. इस स्तर पर, हम यह देखना चाहेंगे कि बचाव पक्ष ने दो बचाव गवाहों की जांच की है और उक्त गवाहों के बयान से यह पता चलता है कि बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया है कि मृतक और घायलों को सड़क दुर्घटना में चोटें आईं और जिस जीप में वे यात्रा कर रहे थे वह पलट गई। इस स्तर पर, डॉक्टर अ.सा.-8 की जिरह पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा है कि जीप या मोटर से सड़क दुर्घटना में मृत्यु-पूर्व चोट लगना संभव है।

26. अब, सूचक (पी.डब्लू.-9) ने *फर्दबयान* में तथा न्यायालय के समक्ष अपने बयान में यह कहा है कि सभी व्यक्ति *लाठी, डंडा* तथा *फरसा* लेकर उसके घर पर आये तथा टुन्ना यादव पर हमला किया तथा जब अन्य चार व्यक्तियों ने टुन्ना को बचाने का प्रयास किया तो वे भी घायल हो गये। तथापि, महंथ यादव (पी.डब्लू.-7), जो एक घायल गवाह भी है, ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि जब वह अपने दरवाजे पर खड़ा था, तो राजू नामक व्यक्ति ने बैरिस्टर को घसीटना शुरू कर दिया। विशुन देव, प्रमोद, राजू, सत्यदेव, छोटे, संतोष, गोविंद तथा रघुनाथ ने एक सभा बनाकर विनोद यादव को घसीटना शुरू कर दिया तथा उसके साथ मारपीट करने लगे। विनोद घायल हो गया तथा जब टुन्ना उसे बचाने गया तो उस पर भी टार्च से हमला किया गया जिससे उसके सिर पर चोट लग गई तथा खून बहने लगा। अन्य लोग जो बचाने गये थे, उन पर भी हमला किया गया। घायलों का उपचार किया गया तथा टुन्ना की मृत्यु हो गई।

26.1. इस प्रकार, दोनों तथाकथित प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना के तरीके के संबंध में अलग-अलग बयान दिए हैं और उनके बयानों में काफी विरोधाभास और विसंगतियां हैं। इसके अलावा, यह आश्चर्यजनक है कि सूचक, जो मृतक का पिता है, यद्यपि मौजूद था, उसने

अपने बेटे को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसकी 16 वर्षीय बेटी, 70 वर्षीय चाची ने मृतक को बचाने की कोशिश की। इसके अलावा, मृतक के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को फरसा से कोई चोट नहीं लगी थी और इस्तेमाल किया गया हथियार कठोर और कुंद हथियार था। इसके अलावा, घायल गवाहों/प्रत्यक्षदर्शियों में से कुछ ने कहा है कि अभियुक्तों ने *लाठी, डंडा* और *फरसा* से वार किया जबकि अ.सा.-7, घायल गवाह ने कहा है कि टुन्ना को टॉर्च से वार किया गया था। इस प्रकार, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में बहुत अधिक विरोधाभास, असंगतियां और विसंगतियां हैं। घायल गवाह मृतक के निकट संबंधी हैं और इसलिए उनके बयान की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि निकट संबंधियों द्वारा दिया गया बयान विश्वसनीय है, तो उनके बयान को बिना पुष्टि के भी स्वीकार किया जा सकता है और उसी के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। हालांकि, यहां की गई चर्चा से यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त घायल/चश्मदीद गवाहों द्वारा दिया गया बयान विश्वसनीय नहीं है और इसलिए हम अपीलकर्ता-अभियुक्तों द्वारा किए गए बचाव के मद्देनजर विशेष रूप से उक्त गवाहों के बयान को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। सड़क दुर्घटना के संबंध में अभियुक्तों द्वारा किए गए बचाव को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर (अ.सा.-8) की जिरह से भी समर्थन मिलता है। इस प्रकार, बचाव पक्ष ने घटना के घटित होने के तरीके तथा घटनास्थल पर तथाकथित चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति के संबंध में संदेह जताया है।

27. इस स्तर पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि बचाव पक्ष का यह विशिष्ट मामला है कि अ.प.-9 के साथ भूमि विवाद के कारण अभियुक्तों को झूठा फंसाया गया है। सूचक (अ.प.-9) ने अपने बयान के कंडिका-4 एवं 5 में पक्षों के बीच विवादित भूमि के बारे में बताया है। उसने विशेष रूप से बताया है कि अभियुक्तगण विवादित भूमि पर राख एवं गोबर रख रहे थे, जिसे हटाने के लिए सूचक ने विभिन्न अधिकारियों के समक्ष शिकायत की थी। इसके अलावा मृतक टुन्ना के *श्राद्ध* कर्म के बाद सूचक ने विवादित भूमि पर तत्काल चहारदीवारी का निर्माण कराया। उस समय सभी अभियुक्तगण जेल में थे।

28. जांच अधिकारी (अ.सा.-10) द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि उन्हें घटनास्थल पर कोई खून का धब्बा नहीं मिला और उक्त अधिकारी ने मृतक के खून से सने कपड़े या मिट्टी को भी नहीं उठाया। उक्त गवाह ने आगे कहा है कि गवाह छोटक यादव ने अपने बयान में यह नहीं कहा था कि भरत यादव, महंथ, विनोद यादव, ललिता देवी और टुन्नी कुमारी को चोटें आई हैं। इसके अलावा, घटना में प्रयुक्त कथित हथियार भी आरोपियों से बरामद/खोजा नहीं गया।

29. हमने धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अभियुक्त के बयान का भी अवलोकन किया है। अभियुक्त से केवल एक प्रश्न पूछा गया था और सभी अभियोगात्मक साक्ष्य अभियुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 313 के तहत बयान दर्ज करना केवल औपचारिकता नहीं है।

30. इस स्तर पर, हम मेहराज सिंह (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ-12 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> "12. आपराधिक मामले में और खास तौर पर हत्या के मामले में एफआईआर एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है, जो मुकदमे में पेश किए गए साक्ष्य की सराहना करने के उद्देश्य से है। एफआईआर को तुरंत दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य अपराध के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना है, जिसमें वास्तविक अपराधियों के नाम और उनकी भूमिकाएं, इस्तेमाल किए गए हथियार, अगर कोई हो, और चश्मदीदों के नाम, अगर कोई हो, शामिल हैं। एफआईआर दर्ज करने में देरी से अक्सर मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, जो बाद में सोचा जाने वाला काम है। देरी के कारण, एफआईआर न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो जाती है, बल्कि रंगीन संस्करण या अतिरंजित कहानी पेश किए जाने का खतरा भी पैदा होता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एफआईआर उस समय दर्ज की गई थी, जिस समय इसे दर्ज किए जाने का आरोप लगाया गया है, अदालतें आम तौर पर कुछ बाहरी जाँचों की तलाश करती हैं। जाँचों में से एक है स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा हत्या के मामले में एफआईआर की प्रति प्राप्त करना, जिसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। यदि यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देरी से प्राप्त होती है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एफआईआर उस समय दर्ज नहीं की गई थी, जब तक कि अभियोजन पक्ष स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर की प्रति भेजने या प्राप्त करने में देरी के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया है। दूसरी बाहरी जाँच समान रूप से महत्वपूर्ण है शव के साथ एफआईआर की प्रति भेजना और जांच रिपोर्ट में उसका संदर्भ देना। भले ही धारा 174 सीआरपीसी के तहत तैयार की गई जांच रिपोर्ट का उद्देश्य अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए एक वैधानिक कार्य करना है, लेकिन एफआईआर का विवरण और जांच कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए बयानों का सार रिपोर्ट में परिलक्षित होता है। उन विवरणों का न होना इस बात का संकेत है कि अभियोजन पक्ष की कहानी अभी भी भ्रूण अवस्था में थी और उसे कोई आकार नहीं दिया गया था और एफआईआर को उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद बाद में दर्ज किया गया और फिर इसे तुरंत दर्ज की गई एफआईआर का रंग देने के लिए समय से पहले दर्ज किया गया। हमारी राय में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, कमजोरियों के कारण, एफआईआर ने अपना मूल्य और प्रामाणिकता खो दी है और ऐसा लगता है कि इसे समय से पहले दर्ज किया गया था और अ.सा. 8 द्वारा मौके पर जांच कार्यवाही पूरी होने तक दर्ज नहीं किया गया था।

30.1. हम नरेश कुमार (उपर्युक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का भी उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ-21 से 23 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> "**21.** हम पहले ही यह मान चुके हैं कि किसी अभियुक्त से अपराध करने वाली परिस्थितियों के बारे में पूछताछ न करना या अपर्याप्त पूछताछ करना अपने आप में संबंधित अभियुक्त के मामले में मुकदमे को निष्प्रभावी नहीं बनाता है और उसके मामले में मुकदमे को निष्प्रभावी मानने के लिए यह स्थापित करना होगा कि इससे अभियुक्त के प्रति भौतिक पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। यह सच है कि धारा 313, सीआरपीसी के तहत जांच के दौरान किसी भी अपराध करने वाली परिस्थिति के बारे में पूछताछ न करने या अपर्याप्त पूछताछ के कारण पूर्वाग्रह या हनन स्थापित करने का दायित्व संबंधित दोषी पर है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि यदि अभियुक्त को अंततः बरी कर दिया जाता है, तो उसके पास यह मामला नहीं हो सकता कि उसके साथ पूर्वाग्रह था या इस तरह की पूछताछ न करने या अपर्याप्त पूछताछ के कारण न्याय का हनन हुआ था।
>
> **22.** मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण के आलोक में, हम आगे इस प्रश्न पर विचार करने के लिए इच्छुक हैं कि क्या धारा 313, सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ता की परीक्षा के दौरान उससे उपरोक्त जुड़वां दोषपूर्ण परिस्थितियों पर सवाल न पूछे जाने से उसके प्रति भौतिक पूर्वाग्रह पैदा हुआ था। *पंजाब राज्य बनाम स्वर्ण सिंह*[8] में इस न्यायालय का निर्णय हमें पूर्वाग्रह के प्रश्न पर विचार करते समय एक अन्य कारक पर विचार करने के लिए बाध्य करता है। *स्वर्ण सिंह के मामले* (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय ने कहा कि जहां गवाहों के साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में दर्ज किए जाते हैं, जिनके पास उनसे जिरह करने का अवसर था, लेकिन उन्होंने बयान किए गए तथ्यों के संबंध में उनसे जिरह नहीं की, तो ऐसे गवाहों के साक्ष्य के बारे में अभियुक्त से सवाल न करने से ऐसे अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा और इसलिए, संबंधित दोषी के संबंध में मुकदमे को खराब करने वाले आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है। हम पहले ही पा चुके हैं कि अनिल कुमार (अ.सा.-7), प्रेम देवी (अ.सा.-8), श्रीमती मधु (अ.सा.-19) और आनंद कुमार (अ.सा.-22) ने उक्त परिस्थितियों के बारे में बयान दिया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध उनकी मौखिक गवाही की जांच से निस्संदेह पता चलता है कि दोनों बिंदुओं पर अपीलकर्ताओं की ओर से उनसे जिरह की गई थी।
>
> **23.** जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्थिति हमें अंतिम प्रश्न पर ले जाएगी कि क्या अपीलकर्ता को उपरोक्त दोषपूर्ण परिस्थितियों पर उससे पूछताछ न करने के कारण भौतिक पूर्वाग्रह हुआ था और इस तरह उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिला। इस प्रश्न पर विचारण न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 31 का संदर्भ देकर बेहतर ढंग से विचार किया जा सकता है, जिसे आपत्तिजनक निर्णय के तहत उच्च न्यायालय से वस्तुतः पुष्टि प्राप्त हुई थी। यह इस प्रकार है:—
>
> > *31. जहां तक आरोपी नरेश की भूमिका का सवाल है, अ.सा. के साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि वह (नरेश) ही वह व्यक्ति है, जिसने अपने भाई महेंद्र*

को फोन करके कहा था कि "महेंद्र बाहर आकर उन्हें मार डालो" और उसके बाद मृतक अरुण कुमार को पकड़कर घटना में भाग लेना, स्पष्ट रूप से दोनों यानी नरेश और महेंद्र की समान मंशा को दर्शाता है और यहां तक कि विद्वान बचाव पक्ष के वकील को भी उपरोक्त उल्लेखित अधिकारियों से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। "

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि तथ्यों और साक्ष्यों, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, की जांच की जाती है, तो हमारा विचार है कि उपरोक्त दोनों निर्णय अपीलकर्ता-अभियुक्तों के पक्ष में हैं।

32. इसके अलावा, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि का फैसला और सजा का आदेश पारित करते समय गलती की है और इसे रद्द करने और अलग रखने की आवश्यकता है।

33. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। चौतरवा थाना केस संख्या 34/2014 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 442/2014 के संबंध में विद्वान एडहॉक प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बगहा, पश्चिम चंपारण द्वारा पारित दिनांक 28.01.2015 के दोषसिद्धि के विवादित निर्णय और दिनांक 30.01.2015 के सजा के आदेश को खारिज किया जाता है और अपास्त किया जाता है और अपीलकर्ताओं को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

33.1. आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 174/2015 के अपीलकर्ता संतोष यादव, राजू यादव, गोविंद यादव और रघुनाथ यादव जमानत पर हैं। उन्हें उनके संबंधित जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त कर दिया गया है।

33.2. चूंकि आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 152/2015 के अपीलकर्ता, अर्थात्, विष्णु देव यादव और सत्यदेव यादव जेल में हैं, इसलिए उन्हें तत्काल जेल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायाधीश)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायाधीश)

संजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।